न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 40/2017

1 लालाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी दानजी का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 संजीव कुमार पुत्र पेमा।
2 सुभाषचन्द पुत्र पेमा।
3 सुन्दरी बेवा पेमा।
4 बलदेव पुत्र गंगाराम।
5 बनारसी पत्नी अमरराम।
6 दिनेश कुमार पुत्र अमरराम।
7 महेश कुमार पुत्र अमरराम।
8 गंगाराम पुत्र लिछमण।
9 कानी बेवा लिछमण।
10 नारायण पुत्र गोपी।
11 लालू पुत्र गोपी समस्त जाति जाट निवासीगण दानजी का बास तहसील दंातारामगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14 उप पंजीयक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15 नेमाराम पुत्र भैरूराम।
16 मदन पुत्र भैरूराम।
17 नारायणी बेवा भैरूराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 भंवरी धर्मपत्नी लालाराम।
19 श्रवणी देवी धर्मपत्नी मदनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण दानजी का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ पीठासीन अधिकारी श्री सत्यवीर यादव आर.ए.एस. किस्म मुकदमा टी.आई. नम्बर 04/2017 बउनवानी लालाराम आदि बनाम संजीव कुमार आदि दिनांक 19.04.2017

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिश शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 05.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 04/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 19.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 15 लगायत 19 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर के समक्ष एक नियमित वाद बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट (दुरूस्ती नई नक्शा सर्वे शीट एवं राजस्व रिकार्ड) प्रस्तुत किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गया। जो आज दिन भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के यहां विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ ही अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 15 लगायत 19 द्वारा अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलाधीन आवेदन प्रस्तुति के समय ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवेदन में दिनांक 13.01.2017 को ग्राम दानजी का बास पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के खसरा नम्बर 18,19 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16,17,32,32/436,33, 33/435,34 ता 40 कुल किता 13 कुल रकबा 6.32 हैक्टेयर एवं भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 21 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 20/437 रकबा 2.81 हैक्टेयर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने निमित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गइ। आवेदन के विचारण के दौरान ही रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 11 द्वारा विवादित भूमियों की नींव सींव तोड़ फोड़ किये जाने पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 15 लगायत 19 द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04. 2017 को सुनी गई तथा पत्रावली में वास्ते आदेश तारीख पेशी दिनांक 11.04. 2017 निर्धारित कर दी गई। क्रमशः दिनांक 11.04.2017,13.04.2017 एवं 17. 04.2017 न्यायालय में न्यायिक कार्य नहीं हुये तथा दिनांक 19.04.2017 को अपीलांट द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मुकदमें का अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का आवेदन माननीय जिला कलेक्टर महोदय सीकर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की सूचना प्रेषित कर दी गई। परन्तु फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट की बहस सुने बिना ही दिनांक 19.04.2017 को ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज कर दिया गया तथा मूल आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी खारिज कर दिया। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी 1955 खारिज कर दिये जाने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बाबत पारित आदेश दिनांकित 19.04.2017 के खिलाफ यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के समस्त पक्षकारान की तामीली कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने में भारी कानूनी भूल की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बहस सुने बिना ही आवेदन पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर अपीलांट की ओर से इस आशय की सूचना प्रेषित कर दिये जाने के बावजूद कि उनके द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय सीकर के समक्ष अपीलाधीन मुकदमें को स्थानान्तरित किये जाने निमित आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस निष्कर्ष के साथ खारिज किये जाने में भारी कानूनी भूल की गई है कि मूलतः तहसीलदार दांतारागढ़ के यहां विचाराधीन प्रार्थना पत्र 6/16 बउनवानी आवेदन सुभाष में निर्णय दिनांक 29.12.2016 के द्वारा अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता खुलवाने का पटवारी हल्का को आदेशित किया गया। उक्त आदेश की कियान्विति रोकने के लिए प्रार्थीगण लालाराम आदि द्वारा दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 13.01.2017 को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति प्राप्त कर ली गई। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अनावेदकगण/उतरदाता के खेतों में जाने का एकमात्र रास्ता जो वाके ग्राम दानजी का बास से अनावेदकगण के खेतों तक जाने वाले रास्ते को आवेदकगण ने बन्द कर रखा है। आवेदकगण ने वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत आधारों पर दावा व टी.आई. पेश किया है। उक्त रास्ते बाबत् तहसीलदार दांतारामगढ़ ने दिनांक 29.12.2016 को उक्त रास्ते से अतिक्रमण हटाने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया था। जिसका आवेदकगण को पता चलते ही माननीय न्यायालय में झूठा दावा व आवेदन पेश कर स्थगन प्राप्त कर लिया है। उक्त स्थगन आदेश की आड़ में वर्तमान में उतरदाता/ अनावेदकगण का रास्ता बन्द ही पड़ा है। दावे में जिस बाबत् आवेदकगण ने रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है उसका पूर्व में ही तहसीलदार महोदय के आदेश से हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण ने सम्पूर्ण रास्ते की भूमि एवं अनावेदकगण की 8 मीटर भूमि और दबा रखी है। आवेदकगण उक्त अतिक्रमण से बचने के लिए न्यायालय में झुठा दावा एवं टी.आई. पेश की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से स्थगन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय का कथन है कि अनावेदकगण/उतरदाता के खेतों में जाने का एकमात्र रास्ता जो वाके ग्राम दानजी का बास से अनावेदकगण के खेतों तक जाने वाले रास्ते को आवेदकगण ने बन्द कर रखा है। आवेदकगण ने वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत आधारों पर दावा व टी.आई. पेश किया है। उक्त रास्ते बाबत् तहसीलदार दांतारामगढ़ ने दिनांक 29.12.2016 को उक्त रास्ते से अतिक्रमण हटाने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया था। जिसका आवेदकगण को पता चलते ही माननीय न्यायालय में झूठा दावा व आवेदन पेश कर स्थगन प्राप्त कर लिया है। उक्त स्थगन आदेश की आड़ में वर्तमान में उतरदाता/ अनावेदकगण का रास्ता बन्द ही पड़ा है। दावे में जिस बाबत् आवेदकगण ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है उसका पूर्व में ही तहसीलदार महोदय के आदेश से हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से स्थगन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर